लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

9/313/13

तारीख रजू

बनाम

दिलखुश पूरन वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 395, 403, 460, 121, 239, 240, 242, 475, 429, 504, 461, 463, 464, 465, 1090, 1101, 494, वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर की प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थी गण अनिर्वात बंहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
28-11-22	वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] आदेश दिनांक 9-11-22 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 9/1/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/313/2022

वउनवान

1. दिलखुश पुत्र रिनेश जाति कुम्हार निवासी निवासी सालवाडी सरपरस्त माता खुद मीना पत्नी रिनेश जाति कुम्हार निवासी सालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

सायल

बनाम

1. पूरन पुत्र मूला उर्फ मूल्या जाति कुम्हार निवासी सालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. उप पंजीयक खेरली मंण्डी तहसील कठूमर।

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री कृपादयाल राणा एडवोकेट– अधिवक्ता सायल की ओर से
श्री सुभाषचन्द अर्रूवा एड0 – अधिवक्ता गैरसायल की ओर से

आदेश

दिनांक 16.01.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 395 रकवा 0.24 हे., 403 रकवा 0.34 हे0 460 रकवा 0.40 हे0 एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.76 हे0 239 रकबा 0.95 हे0 540 रकबा 0.81 हे0 242 रकबा 0.59 हे0 475 रकबा 0.29 हे0 429 रकबा 1.16 हे0 504 रकबा 0.11 हे0 461 रकबा 0.74 हे0 463 रकबा 0.32 हे0 464 रकबा 0.04 हे0 465 रकबा 1.78 हे0 1090 रकबा 0.14 हे0 11101 रकबा 0.24 हे0 494 रकबा 0.14 हे0 ग्राम वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें सायल व गैरसायल संख्या 1 व 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सादस्य है जिसमें पूरन सायल का दादा व गैरसायल सं0 3 का पिता है सायल एवं पूरन आपस में दादा पोता है व सायल व गैरसायल सं0 3 आपस में पिता पूत्र है जो एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार सदस्य है उपरोक्त आराजी सायल के दादा पूरन की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है पूरन से ही विवादित आराजी सायल के पिता गैरसायल सं0 3 रिनेश

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी पूरन की पैदा कर्दा आराजी पैत्रिक आराजी हैं जिसमें सायल का वाई बर्थ यानि जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके है विवादित आराजी में गैरसायल सं0 1 व 3 के नाम दर्ज आराजी मे सायल का 1/3 हिस्सा बनता है शेष हिस्सा गैरासायल सं0 1 व 3 का है उक्त अराजी पैत्रिक आराजी होने से सायल को विरासत में प्राप्त हूई है कानून दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पौत्र पौत्रियों को जन्म से ही अधिकार पैदा हो जाते है इसी अधिकार के तहत सायल को विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त हूआ है जिस पर सायल कब्जे काश्त है। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायल सं01 व 3 के नाम दर्ज होने से सायल के हस व हकूवा पर विपरित असर पर रहा है सायल ने गैरसायल 1 व 2 से विवादित आराजी के अपने 1/3 हिस्सा अपने नाम कराने वावत कहा तो साफ मना कर दिया। अतः सायल विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। गैरसायल विवादित आराजी को दीगर लोगो को रहन वय करने को उतारू है। एवं गैरसायल ने धमकी दी है कि में उक्त आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त नही करने दूगां जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करूंगा या गैरसायल संख्या 2 से मिलकर रहन वय मुन्तकिल करा दूगां गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि असाजी ग्राम सालवाडी तह0 कठूमर में स्थित है। शेष तथ्य गलत है स्वीकार योग्य नहीं उक्त आराजी विवादित आराजी नही है। सायल ने सायल व गैरसायल करा सजरा गलत अंकित किया है गैरसायल सं0 1 के रीनेश नाम का कोई पुत्र नहीं है सायल रीनेश का पुत्र न होकर रामनरेश का पुत्र है। सायल ने प्रा0 पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है गैर सायल सं0 1 के वारिसानो को छुपाय है सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है और सभी वारिसानों को मुकदमा में पक्षकार नही बनाया है मुकदमा मिस जोइण्डर ऑफ नेसरीज पार्टी की श्रैणी में आने से खारिज योग्य

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हैं। एवं दादा व पिता के जीवनकाल में पौत्र व पोत्रियों का कोई हक व अधिकार नही वनता है विवादित अराजी पैत्रिक है सायल का विवादी आराजी पैत्रिक कोई प्रमाणित दस्तावेत नही पेश किया गया है। सायल का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नही बनता है यदि सायल विवादित आराजी को पैत्रिक मानता है तो भी सायल का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा ना होकर 1/40 हिस्सा बनता है सायल ने विवादित आराजी में अन्य वारिसान के हिस्सा दर्ज नहीं किये है दादा व पिता के मरने पर ही उनकी आराजी वारिसानों को प्राप्त होती है सायल विवादी आराजी पर स्टे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज किया जावें। विवादित आराजी में सायल का 1/3 हिस्सा नहीं है बल्कि सायल विवादित आराजी को पैत्रिक सावित कर्ता है तो 1/40 हिस्सा वनता है विवादित आराजी पर सायल को कोई कब्जा नहीं है सायल नाकाविज है गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से की आराजी रहन वय कराने का पूर अधिकारी है जिससे सायल को किसी तरह का कोई नुकसान या क्षति नहीं होती है। सायल गैरसायल के विरूद्व स्टे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी नही है एवं प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सुन्तूलन एवं ना पुर्ति होने वाली क्षति सायन के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पत्र में सावित है। एवं नाबालिग सायल की ओर से मुकदमा उसमी सरपरस्त माता मीना ने पेश किया है प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व सायल की मां मीना ने सरपरस्त माता की हेसियत से मुकदमा पेश करने की अदालत से अनुमति नहीं ली है। सायल ने महज गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय हरजा खर्च खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में सायल का 1/3 हिस्से का अधिकारी एवं काब्जे व काश्त होना बताया गया है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि दादा व पिता के मरने पर ही उनकी आराजी वारिसानों को प्राप्त होती है सायल विवादी आराजी पर स्टे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज किया जावें। विवादित आराजी में सायल का 1/3 हिस्सा नहीं है बल्कि सायल विवादित आराजी को पैत्रिक सावित कर्ता है तो 1/40 हिस्सा वनता है विवादित आराजी पर सायल को कोई कब्जा नहीं है सायल नाकाविज है गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से की आराजी रहन वय कराने का पूरा अधिकारी है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खरिज किया जावें।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी पेश की है जिसके अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायल ने प्रा0 पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है गैर सायल सं0 1 के वारिसानो को छुपाय है सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है और सभी वारिसो को मुकदमा में प़क्षकार नही बनाया है मुकदमा मिस जोइण्डर ऑफ नेसरीज पार्टी की श्रेणी में आने से खारिज योग्य हैं। एवं दादा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

व पिता के जीवनकाल में पौत्र व पोत्रियों का कोई हक व अधिकार नही वनता है इन तथ्यों को सायल सावित करने में असफल रहा है। इससे सायल को किसी तरह का नुकशान क्षति व हानि हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलना के पक्ष में सावित ना होकर है। गैरसायल के पत्र में होना प्रतीत होता है सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 09.11.2022 वेकैट कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 16.1.2024 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)